निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 121 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, चंपावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, चंपावत के माह 02/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰ के॰ सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11/02/2019 से 12/02/2019 तक श्री अनिल कुमार जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी॰ के॰ श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संजीव कुमार, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 17/02/2018 से 21/02/2018 तक श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग कार्यालय लोहाघाट एवं चंपावत खंड, जिला चंपावत ।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							गैर स्थापना		स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	-	-	23.77	22.79			--	--		0.98
2017-18	-	-	47.85	43.76			--	--		4.09
2018-19 (Upto 01/19)	-	-	57.84	50.52			--	--		7.32

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

4. स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

    1. सचिव,
    2. प्रमुख अभियंता,
    3. मुख्य अभियंता,
    4. अधीक्षण अभियंता,

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, चंपावत** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, चंपावत** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिक व्यय के आधार पर किया गया ।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1: कार्यालय अधीक्षण अभियंता के द्वारा अधीनस्थ खंडो की आंतरिक लेखा परीक्षा में वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका (वॉल्यूम-VI) के निम्नलिखित नियम 70 से 72 यह प्रावधान करता है कि कार्यालय अधीक्षण अभियंता के द्वारा अधीनस्थ खंडो की आंतरिक लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।

Rule 70. The Superintending Engineer will inspect the state of the various works within his circle and satisfy himself that the system of management prevailing is efficient and economical, that different articles in stock are duly verified according to the rules laid down, and that there is no accumulation of stock in any division beyond its requirements.

Rule 71. He will also inspect the divisional offices under him atleast once a Year, and will forward for the information of the Chief Engineer reports of his inspections in the prescribed form, detailing therein the result of his examination of initial accounts, accounts of stock, tools and plant and stock manufacture, register of works, and other divisional accounts and papers, mode of preparation of estimates, contract agreements, contractor's accounts, Revenue registers and office work generally.

Rule 72. He will further see that the authorized system of accounts is maintained throughout his circle and examine the books of divisional officers and their subordinates, and see that matters relating to the primary accounts are attended to personally by the divisional and sub- Divisional officers, and that the accounts fairly represent the progress of each work. He will examine the register of works so as to keep a vigilant watch over the rates of work, and when he considers it necessary, he may require a divisional officer to report to him monthly or at longer intervals on a works slip in form no. 39 the total expenditure to date under each sub-head of work, in contrast with the sanctioned estimate. It will thus been seen that it rests with the Superintending engineer to investigate excesses over sub- heads with a view to decide whether or not a revised estimate will be required for the work. When a

revised estimate is required it will also devolve on the superintending engineer to see that it is submitted in due time to the sanctioning authority, vide paragraphs 79 and 395. He is also responsible that no delay is allowed to occur in the submission of completion reports.

उपरोक्त नियम के प्रावधानानुसार कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, चंपावत के द्वारा अपने अधीनस्थ खंडो की जांच प्रतिवर्ष की जानी चाहिए और इनके प्रतिवेदनों को मुख्य अभियंता को प्रेषित की जानी चाहिए, परंतु कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से ज्ञात होता है कि विगत दो वर्षो के साथ-साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी वृत्त द्वारा अपने अधीनस्थ दो खंडो की कोई आंतरिक लेखा परीक्षा संपादित नहीं की गई थी।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर वृत्त द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था जो लेखा परीक्षा अवलोकन की स्वीकारोयुक्ति है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2: कार्य के अनुश्रवण एवं गुणवत्ता की जांच नहीं किया जाना।

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति माह अधीक्षण अधियंता, लोक निर्माण विभाग, चंपावत को कार्य के अनुश्रवण एवं गुणवत्ता जांच हेतु कार्य आवंटित किए जाते है और तत्पश्चात जांच प्रतिवेदन को विभागाध्यक्ष के पास आवश्यक कार्यवाही प्रेषित की जाती है। इसके साथ ही, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चंपावत के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित कार्य का निरीक्षण किया जाता है।

लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गए सूचना के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में कुल 82 कार्य जाच हेतु आवंटित की गयी थी जिसमे से 42 कार्य की जांच की गयी थी जबकि शेष 40 कार्य जांच हेतु लंबित है। पुनः यह भी उल्लेखनीय है कि 14 कार्य का आवंटन 2016-17 एवं 2017-18 के मध्य किया गया था। इसके साथ ही, कार्यालय द्वारा वर्ष 2018-19 में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित एक भी कार्य के गुणवत्ता की स्थिति ज्ञात नहीं की गयी थी।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर वृत्त द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया था जो लेखा परीक्षा अवलोकन की स्वीकारोयुक्ति है।

भाग - 03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
84/2017-18	-	01	02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
84/2017-18	Part-II B प्रस्तर-1 STAN प्रस्तर-2		कार्य पूर्ण नहीं हुआ है अत: उक्त प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, चंपावत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री हरीश पांगती	अधीक्षण अभियंता	23/11/2017 से 18/09/2018 तक।
2.	श्री चंद्रपाल सिंह	अधीक्षण अभियंता	18/09/2018 से वर्तमान तक।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंध रहे।**

   N.A.

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, चंपावत** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2,कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II